न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–358/2019

शेख अब्दुल कादिर.....वादी

बनाम

नासीर अहसन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 24.07.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 29.01.2025 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा अपने नाम पर हासिल एराजी द्वारा बक्ख्शीशनामा के एराजी में से प्रतिवादी सं0–01 द्वारा प्रतिवादी सं0–02 ता 04 से एक बयनामा दिनांक 12.09.2019 लिखाया गया है, को निरस्त करने हेतु लाया गया है। वादी द्वारा बक्खीशनामा दिनांक 25.06.1991 लिखाया गया है, वह उनकी मौरूसी जमीन में हिस्से की एराजी थी जिसे उन्होनें वादी को बक्खीश कर दखल कब्जा दे दिया है। बक्ख्शीश कर्ता अनिसुल मजीक के पिता अरसुल मजी को तीन लडका एमामूल मजीद, अनिसुल मजीद एवं इसमुल मजीद एवं तीन लडकियाँ तहरून नेशा, हसीना खातुन एवं जबीना खातुन हुई जिन्होंने सन–1978 में मौखिक बंटवारा कर लिया है। वादपत्र में लडकियों का हिस्सा का विवरण स्पष्ट करना छुट गया है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.11.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। संशोधन आवेदन स्वीकार करने से प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपना बयान तहरीरी दाखिल कर चुका है। वादी वादपत्र के पारा न0–03	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–358/2019</u>

शेख अब्दुल कादिर.....वादी

बनाम

नासीर अहसन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.01.2025	को विलोपित कर उसके स्थान पर प्रस्तावित संशोधन करना चाहते है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद कागजाता दाखिल करने हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 24.07.2024 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 05.02.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	